222

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषयः– **केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के कार्यान्वयन हेतु राज्यस्तरीय, जिला स्तरीय, पदाधिकारियों/कर्मचारियों का संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सेवा शर्त्त एवं कर्तव्य नियमावली–2016 की स्वीकृति ।**

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक– 12.07.2016 के मद संख्या–15 में लिए गये निर्णय के अनुसार **"केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के कार्यान्वयन हेतु राज्यस्तरीय, जिला स्तरीय, पदाधिकारियों/कर्मचारियों का संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सेवा शर्त्त एवं कर्तव्य नियमावली–2016"** की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी अधिसूचना की प्रति अनुसूची–1 इसके साथ संलग्न की जाती है।

2. यह नियमावली अधिसूचना/संकल्प निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह॰ भाटिया 19/7/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 05/म0बा0/ICPS-नियु0–नियम–575/2015 - 1836 राँची, दिनांक– 20/7/2016

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह॰ भाटिया 19/7/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 05/म0बा0/ICPS-नियु0–नियम–575/2015 - 1836 राँची, दिनांक– 20/7/2016

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/ संयुक्त सचिव–सह–परियोजना निदेशक–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ भाटिया 19/7/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)
प्रधान सचिव

221

अनुसूची–I

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक :– 20/07/ 2016

अधि0 संख्या – 05/म0बा0/ICPS–नियु0 नियमा0–575/2015– 1835/ संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(i) यह नियमावली केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन हेतु पदाधिकारी/कर्मी की संविदा आधारित नियुक्ति, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य नियमावली 2016 कही जायेगी।

(ii) यह नियमावली सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;

(ii) "नियुक्ति पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य स्तरीय पदों के लिए विभागीय प्रधान सचिव/सचिव एवं जिला स्तरीय पदो के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त ;

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ;

(iv) "सेवा शर्त्त" से तात्पर्य है नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, वेतन भत्ते, अवकाश, अनुशासनात्मक नियंत्रण, दण्ड आदि से संबंधित शर्त्ते ;

(v) इस नियमावली में "नियमावली" शब्द से अभिप्रेत है केन्द्र प्रायोजित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तर के पदाधिकारी/कर्मी की संविदा आधारित नियुक्ति, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2016 ।

3. विभिन्न स्तरों पर पदों का सृजन –

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–स0क0–यो0–165/2012–418 दिनांक–14.03.2013 द्वारा विभिन्न पदों का सृजन किया गया है।

ह० मु
19/7

220

4. पदाधिकारियों / कर्मियों की कोटि –

राज्य / जिला स्तर पर नियम–3 के अन्तर्गत सृजित पदों की कोटि, जिसका उद्देश्य मात्र दैनिक भत्ता एवं यात्रा–भत्ता की अनुमान्यता निर्धारित करना है, निम्नवत् तालिका–I के अनुरुप होगी –

तालिका–I

झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था (JSCPS)

क्र0सं0	पद	कोटि
1.	कार्यक्रम प्रबंधक	समूह – "ख"
2.	कार्यक्रम पदाधिकारी	समूह – "ख"
3.	लेखा पदाधिकारी	समूह – "ग"
4.	लेखापाल	समूह – "ग"
5.	सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	समूह – "ग"
6.	लेखा सहायक	समूह – "ग"

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (SARA)

क्र0सं0	पद	कोटि
1.	कार्यक्रम प्रबंधक	समूह – "ख"
2.	कार्यक्रम पदाधिकारी	समूह – "ख"
3.	कार्यक्रम सहायक	समूह – "ग"

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)

क्र0सं0	पद	कोटि
1.	जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी	समूह – "ख"
2.	संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख	समूह – "ग"
3.	संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख	समूह – "ग"
4.	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	समूह – "ग"
5.	परामर्शदाता	समूह – "ग"
6.	समाजिक कार्यकर्त्ता	समूह – "ग"
7.	लेखापाल	समूह – "ग"
8.	ऑकडा विश्लेषक	समूह – "ग"
9.	सहायक –सह– डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	समूह – "ग"
10.	आऊटरीच कार्यकर्त्ता	समूह – "घ"

15.25
17/2

बाल कल्याण समिति (CWC)/किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

क्र0सं0	पद	कोटि
1.	सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (CWC)	समूह – "ग"
2.	सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (JJB)	समूह – "ग"

5. नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताएँ –

(1) झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था (JSCPS)

पदनाम	उम्र	मासिक परिलब्धि	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव
1	2	3	4	5
(i) कार्यक्रम प्रबंधक	35–45 वर्ष	रु0 35,000/–	सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर, (समाज शास्त्र/मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सामाजिक कार्य/ग्रामीण विकास) हिन्दी एवं अँग्रेजी में लिखने एवं बोलने की अच्छी जानकारी तथा कम्प्यूटर का ज्ञान/सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानों से एम0बी0ए0 / पी0जी0 डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल विकास, बाल संरक्षण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 8 वर्षो का अनुभव।
(ii) कार्यक्रम पदाधिकारी	35–45 वर्ष	रु0 26,250/–	सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर, (समाज शास्त्र/मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सामाजिक कार्य/ग्रामीण विकास) हिन्दी एवं अँग्रेजी में लिखने एवं बोलने की अच्छी जानकारी तथा कम्प्यूटर का ज्ञान। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थानों से एम0बी0ए0 /पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0 एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल विकास, बाल संरक्षण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 5 वर्षो का अनुभव।

(iii) लेखा पदाधिकारी	40–55 वर्ष (सेवानिवृत पदा0 के मामले में 65 वर्ष तक)	रु0 17,500/–	वाणिज्य (लेखा) में स्नातक (प्रतिष्ठा)/ कम्प्यूटर में दक्षता/ टैली का ज्ञान। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम0कॉम0 तथा एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	नई नियुक्ति के मामले में सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव।
(iv) लेखापाल	30–45 वर्ष	रु0 14,000/–	वाणिज्य में स्नातक/कम्प्यूटर में दक्षता/टैली का ज्ञान। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम0कॉम0 तथा एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव।
(v) सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	21–35 वर्ष	रु0 10,000/–	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी–30 W.P.M. अँग्रेजी–35 W.P.M. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी0सी0ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कम्प्यूटर कार्य/ कार्यालय कार्य का अनुभव।
(vi) लेखा सहायक	21–35 वर्ष	रु0 10,000/–	वाणिज्य में स्नातक/कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अँग्रेजी में टंकण। हिन्दी–30 W.P.M अँग्रेजी–35 W.P.M सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 1 वर्ष का लेखा कार्य / कार्यालय कार्य का अनुभव।

217

(2) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (SARA)

पदनाम	उम्र	मासिक परिलब्धि	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव
1	2	3	4	5
(i) कार्यक्रम प्रबंधक	35–45 वर्ष	रु0 35,000/–	सामाजिक कार्य/ समाज शास्त्र/ मनोविज्ञान/विधि/ कॉन्सिलिंग में स्नातकोतर की डिग्री। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
(ii) कार्यक्रम पदाधिकरी	35–45 वर्ष	रु0 26,250/–	सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/विधि/कॉन्सिलिंग में स्नातकोतर की डिग्री। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0 जी0डी0बी0/पी0जी0डी0बी0 एम0/पी0 जी0डी0आर0डी0/अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल विकास के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
(iii) कार्यक्रम सहायक	30–45 वर्ष	रु0 10,000/–	किसी भी संकाय में इण्टमीडिएट। कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी–30 W.P.M. अँग्रेजी– 35 W.P.M., स्नातक/बी0सी0ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	कार्यालय कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।

(3) जिला बाल संरक्षण ईकाई (DCPU)

पदनाम	उम्र	मासिक परिलब्धि	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव
1	2	3	4	5
(i) जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी	35–45 वर्ष	रु0 33,250/–	सामाजिक कार्य/ मनोविज्ञान/समाज शास्त्र एवं विधि में स्नातकोतर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण/बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
(ii) संरक्षण पदा0 संस्थागत देखरेख	30–45 वर्ष	रु0 21,000/–	सामाजिक कार्य/ मनोविज्ञान/समाज शास्त्र में स्नातकोतर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0 जी0 डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण/बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
(iii) संरक्षण पदा0 (गैर संस्थागत देखरेख)	30–45 वर्ष	रु0 21,000/–	सामाजिक कार्य/ मनोविज्ञान/समाज शास्त्र में स्नातकोतर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण/बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

216

(iv) विधि–सह–परीवीक्षा अधिकारी	30–45 वर्ष	रु0 21,000/–	सामाजिक कार्य में स्नातकोतर/विधि में स्नातक। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण/बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
(v) परामर्श दाता	30–45 वर्ष	रु0 14,000/–	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/ समाज शास्त्र में स्नातकोतर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल विकास एवं कॉउसिंलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
(vi) सामाजिक कार्यकर्त्ता	30–45 वर्ष	रु0 14,000/–	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/ समाज शास्त्र में स्नातकोतर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बीएम0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल विकास एवं कॉउसिंलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
(vii) लेखापाल	30–45 वर्ष	रु0 14,000/–	वाणिज्य में स्नातक। कम्प्यूटर में दक्षता/टैली का ज्ञान। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय संस्थान से एम0कॉम0/एम0 सी0 ए0, अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव।
(viii) ऑकड़ा विश्लेषक	30–45 वर्ष	रु0 14,000/–	समाज कार्य/समाज शास्त्र एन्थ्रोपोलॉजी में स्नातक। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय संस्थान से एम0कॉम0/एम0 सी0 ए0, अतिरिक्त योग्यता होगी।	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
(ix) सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	30–45 वर्ष	रु0 10,000/–	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी–30 W.P.M. ॲग्रेजी–35 W.P.M. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0सी0 ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कम्प्यूटर कार्य/ कार्यालय कार्य का अनुभव।
(x) ऑउटरीच कार्यकर्त्ता	30–45 वर्ष	रु0 8,000/–	प्रवेशिका उत्तीर्ण	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

(4) बाल कल्याण समिति (CWC) & किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

(i) सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	30–45 वर्ष	रु0 9,000/–	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी–30 W.P.M. ॲग्रेजी–35 W.P.M. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी0सी0ए0/ एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कम्प्यूटर कार्य/ कार्यालय कार्य का अनुभव।

6. आयु सीमा–

विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा, नियम–5 में वर्णित आयु सीमा के अनुसार होगी तथा नियुक्ति हेतु आयु की गणना अधियाचना वर्ष की 1 ली अगस्त के आधार पर की जायेगी।

7. राष्ट्रीयता –

आवेदक भारत का नागरिक हो।

8. पदों में आरक्षण–

संविदा आधारित उपर्युक्त पदों के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

9. **परिलब्धि–** विभिन्न पदों की परिलब्धियों नियम–5 के अनुसार अथवा भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित संविदा भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा संकल्प/परिपत्र जारी किया जा सकेगा, जो इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

10. नियम–5 में निर्धारित परिलब्धि एक मुश्त संविदा राशि है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा ; परन्तु कर्त्तव्य से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए नियम–4 में वर्णित कोटि के अनुरुप देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा।

11. **नियुक्ति का प्रकार पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण आदि–**

क) नियमावली के नियम–5 में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रुप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा।

ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो का समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरुप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनको कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रुप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम–11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरुप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

घ) राज्य स्तरीय पदों पर संविदा पर की गई नियुक्ति के पद राज्य स्तरीय होगा और इनका पदस्थापन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा राज्य मुख्यालय में राज्य बाल संरक्षण संस्था/राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन ऐजेन्सी में की जाएगी।

ड.) जिला स्तरीय पदों पर चयन उस जिले के लिए किया जायेगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात् यह जिला स्तरीय पद होंगे।

च) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

12. चयन प्रक्रिया–

(i) पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी नियम 16 के अनुरुप होंगे। आवश्यकतानुसार नियंत्री पदाधिकारी का संसूचन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अलग से संकल्प/परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे।

(ii) प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरुप अंकित करते हुए, शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जायेगा तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की ''प्रारंभिक मेघा सूची'' तैयार की जायेगी।

(iii) सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगनी संख्या में ''प्रारंभिक मेघा सूची'' तैयार की जायेगी एवं उनके सभी प्रमाण–पत्रों की जाँचोपरान्त सही पाये गये उम्मीदवार को रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

(iv) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा। परन्तु जिला स्तरीय पदों पर अधिकतम दो जिलों में ही आवेदन दे सकेंगे।

(v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–4063, दिनांक– 18.05.2016 के आलोक में उपर्युक्त समूह – 'ख'

अराजपत्रित, समूह–ग एवं समूह – घ तथा समकक्ष पदों पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा।

(vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 3198, दिनांक– 18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पदों पर नियुक्तियों के क्रम में उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होगा।

(vii) संविदा आधारित उपर्युक्त पदों की नियुक्तियाँ 03 (तीन) वर्षों के लिए की जायेगी, जिसे अधिकतम 05 (पाँच) वर्षों तक के लिए संविदा कर्मियों के व्यक्तिगत मूल्यांकण के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा। 05 (पाँच) वर्षों के उपरान्त यदि ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता है तो संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति हेतु नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

13. नियुक्ति हेतु नियुक्ति समिति :–

क) राज्य स्तरीय पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची तैयार करने के लिए निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में एक नियुक्ति समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

नियुक्ति समिति की संरचना

(i) निदेशक समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची – अध्यक्ष।

(ii) विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग– सदस्य।

(iii) आदिवासी कल्याण आयुक्त–सदस्य।

(iv) उप सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग– सदस्य–सचिव।

ख) जिला स्तरीय पदों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची तैयार करने के लिए संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में एक नियुक्ति समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

नियुक्ति समिति की सरचना

(i) संबंधित जिलें के उपायुक्त– अध्यक्ष।

(ii) उप विकास आयुक्त– सदस्य।

(iii) उपायुक्त द्वारा जिले में कार्यरत पदाधिकारियों में से अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिनिधि के रुप में मनोनित पदाधिकारी– सदस्य।

(iv) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी–सदस्य सचिव।

14. योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया –

प्रत्येक पद के लिए योग्यता स्कोर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :–

(i) **वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता चाहिए।**

(क) अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	= 60
(ख) अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	= 20
(ग) अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक	= 20
कुल अधिकतम अंक	**=100**

(ii) **वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता नहीं चाहिए।**

(क) अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	= 60
(ख) अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक	= 20
कुल अधिकतम अंक	**= 80**

नोट :– (i) एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर गणना किया जायेगा।

(ii) एक से अधिक अतिरिक्त योग्यता के मामले में वैसे अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक की मान्यता दी जायेगी, जिसका प्राप्तांक अधिक होगा।

15. अभ्यर्थियों के बीच टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर चयन की प्रक्रियाऐं –

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल योग्यता स्कोर अर्थात अंतिम मेघा सूची में टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रांरभिक अक्षर के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगा।

16. नियुक्त पदाधिकारी / कर्मी के कार्यो की वार्षिक समीक्षा तथा उनके पदस्थापन स्थल में परिवर्तन –

क) नियमावली में वर्णित उन पदों, जिनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची हैं। नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी / कर्मी के कार्यो की वार्षिक समीक्षा निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची करेंगे।

ख) जिनके नियुक्ति पदाधिकारी उपायुक्त हैं। नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी के कार्यो की वार्षिक समीक्षा संबंधित उपायुक्त करेंगे।

17. विभिन्न पदों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व –

क) सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के कार्य / कर्त्तव्य / उत्तरदायित्व समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / राज्य द्वारा इस पर जारी दिशा–निर्देश /

मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।

ख) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा समय–समय पर ऐसे सौंपे गये कार्यो/कर्त्तव्य/उत्तरदायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा।

18. प्रशिक्षण –

क) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण विभाग या नियुक्ति/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जा सकेगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदण्ड विभाग या नियुक्ति/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थी को अंतिम रुप से नियुक्त समझा जायेगा।

19. अवकाश –

संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेन्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरुप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

20. अन्यान्य –

क) नियमावाली में अस्पष्टता या इसके प्रावधानों के अनुपालन में किसी कठिनाई या किसी प्रकार की लिपिकीय भूल की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना/परिपत्र जारी कर इसका परिमार्जन करने के लिए सक्षम होगी। ऐसे जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निदेश नियमावली के भाग समझे जायेंगे।

ख) नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों के लिए नियमावली मे वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई सेवा शर्त्त विभाग द्वारा आवश्यक समझी जायेगी तो इस संबंध में विभाग समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश परिपत्र/अधिसूचना जारी कर सकेगी, जो नियमावली के अंग समझे जायेंगे।

ग) पदों की संख्या उनके प्रकार, उनकी परिलब्धियॉ आदि में किसी परिवर्तन की स्थिति में विभाग आवश्यकतानुसार अधिसूचना/परिपत्र निर्गत कर नये या संशोधित दिशा–निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली के भाग समझे जायेगे।

घ) संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त' कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।

ड़) नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार इसके लिए राज्यादेश जारी कर सकेगी जो नियमावली का अंग समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 भाटिया 19/7/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 05/म0बा0/ICPS–नियु0 नियमा0–575/2015– 1835 रॉंची, दिनांक – 20/07/ 2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 300 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 भाटिया 19/7/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 05/म0बा0/ICPS–नियु0 नियमा0–575/2015– 1835 रॉंची, दिनांक – 20/07/ 2016

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/परियोजना निदेशक, समेकित बाल संरक्षण संस्था, झारखण्ड, रॉंची/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों, झारखण्ड/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्र भवन, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 भाटिया 19/7/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)

सरकार के प्रधान सचिव